# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607


क्रमांक : 530 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 17 /03/2025

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '96वाँ' बैठक सोमवार दिनांक 24.03.2025 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।** **(पृष्ठ क्र. 01 से 13 तक)**

टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रस्तावित आय–व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।**

टीप : वित्तीय वर्ष 2023–24 वास्तविक आय–व्यय, वर्ष 2024–25 पुनरीक्षित आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित आय–व्यय, माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आय–व्यय पत्रक पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. **छ.ग. राज्य के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 1 मार्च 2025 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के वित्त निर्देश 8/2025 पत्र क्रमांक 180/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 05.03.2025 के द्वारा छ.ग. राज्य के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 1 मार्च 2025 से पुनरीक्षित दरों में संशोधन किया गया है।

पूर्व में वित्त विभाग के छ.ग. शासन के ज्ञापन क्रमांक 786/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17.10.2024 के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 01 अक्टूबर 2024 से सातवां वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान 2017) में 50% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

वित्त विभाग के पत्रानुसार राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे –

| वेतनमान | अवधि जब से देय है | महंगाई भत्ते में वृद्धि | वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर |
|---|---|---|---|
| सातवाँ वेतनमान | दिनांक 1 मार्च 2025 | 3% | 53% |

अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी/शिक्षकों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% की दर से भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 01.03.2025 से छ.ग. राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें के समान विश्वविद्यालय अधिकारी/शिक्षकों/कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना है।

तत्संबंध में दिनांक 01.03.2025 से विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारी/शिक्षकों/कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता के स्थान पर 53% (मार्च 2025 को वेतन जो अप्रैल 2025 में देय होगा) प्रदान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. **स्व. श्री सोविन्द उइके, चौकीदार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,37,460.00 (रुपए आठ लाख सैंतीस हजार चार सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

**टीपः** स्व. श्री सोविन्द उइके, चौकीदार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का दिनांक 09.11.2024 को निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,37,460.00 (रुपए आठ लाख सैंतीस हजार चार सौ साठ मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

## यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक संधारण के संबंध में विचार करना।** (संलग्न - [illegible])

## रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. **कंसल्टेंसी रेगुलेशन 170 के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample Analysis) फीस एवं नियम व शर्तो की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

**टीप :** स्टॉफ कौंसिल की 80वाँ बैठक में विश्वविद्यालय के रेगुलेशन क्रमांक 170 (कंसल्टेंसी) में उल्लेखित रूटीन टेस्टिंग प्रोजेक्ट : कंडिका नं. 4 के तहत निम्नानुसार रूटीन केमिकल एनालिसिस चार्ज तथा इनसे जुड़ी हुई शर्तों (Terms and Conditions) सर्व सम्मति से पारित कर सक्षम स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. **PM USHA के तहत विभिन्न विभाग/अध्ययनशालाओं के लिए कम्प्यूटर, यू.पी.एस. एवं प्रिंटर क्रय हेतु रू. 46,00,000=00 (रुपए छियालीस लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

**टीप :** PM USHA के तहत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अध्ययनशालाओं के लिए 60 नग कम्प्यूटर, 60 नग यू.पी.एस. एवं 05 नग प्रिंटर क्रय किया जाना है। उक्त सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय निम्नानुसार है :–

| क. | सामग्री का विवरण | संख्या | अनुमानित दर रुपये प्रति नग | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Desktop PC i5 | 60 | 70,000.00 | 42,00,000.00 |
| 02 | Offline UPS 1 KVA | 60 | 5,000.00 | 3,00,000.00 |
| 03 | Multifunction Printer | 05 | 20000.00 | 1,00,000.00 |
| | | | TOTAL | 46,00,000.00 |

उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर अनुमानित व्यय रू. 46,00,000=00 (रुपये छियालिस लाख मात्र) है।

PM USHA के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए RUSA कार्यालय द्वारा शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर उपकरण मद में रू. 50=00 लाख (पचास लाख) की सीलिंग राशि आबंटित किया गया है। क्रय किये जाने वाले सामग्री का भुगतान उक्त राशि से किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

अतः उक्त सामग्री क्रय करने के लिए रू. 46,00,000=00 (रुपये छियालिस लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 17/3/25

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 531 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 17/03/2025

**प्रतिलिपिः–**

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607


## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '96वाँ' बैठक सोमवार दिनांक 24.03.2025 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 18.03.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** (पृष्ठ क्र. 01 से 02 तक)

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** (पृष्ठ क्र. 03 से 06 तक)

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनि. अधीक्षक (से.नि.) के अर्जित अवकाश नदीकरण रु. 6,62,400/– (रुपए छः लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   **टीपः** विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 623/सा.प्रशा./2025 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनि. अधीक्षक दिनांक 30.11.2024 को अधिवार्षिकी आयु पूर्णकर विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हुए है।

   श्री ठाकुर को नियमानुसार 240 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना पत्रक के अनुसार राशि रु. रु. 6,62,400/– (रुपए छः लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

   तद्नुसार श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनि. अधीक्षक को 240 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि गणना पत्रक के अनुसार राशि रु. 6,62,400/– (रुपए छः लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) की भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

4. **डॉ. बंश गोपाल सिंह, सेवानिवृत्त, प्रोफेसर, मनोविज्ञान, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. के अंतर की राशि रु. 8,97,372.00 (रुपए आठ लाख संत्यानबे हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   **टीपः** डॉ. बंश गोपाल सिंह, सेवानिवृत्त, प्रोफेसर, मनोविज्ञान, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सी.पी.एफ. की अन्तर की राशि रु. 8,97,372.00 (रुपए आठ लाख संत्यानबे हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **सम्बद्धता शुल्क में GST Payment हेतु जी.एस.टी. कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, रायपुर को राशि रु. 10,57,266.00 (रुपए दस लाख संतावन हजार दो सौ छैंसठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

   **टीपः** वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विश्वविद्यालय को कॉलेजों की सूची से कुल सम्बद्धता और नवीनीकरण शुल्क राशि रु. 58,73,700.000 में से जी.एस.टी. राशि रु. 10,57,266.00 (रुपए दस लाख संतावन हजार दो सौ छैंसठ मात्र) जी.एस.टी. कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, रायपुर को माननीय कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्देशानुसार भुगतान किया गया है। तद्नुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

## अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. **दिनांक 21.01.2025 को आयोजित MoU Evaluation Committee की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार Section 8 Company "PRSU Innovation Technology and Entrepreneurship Foundation (PITEF) एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य होने वाले MoU के अनुमोदन पर विचार करना।**

7. **विश्वविद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ (Social Audit Cell) हेतु निम्नलिखित गठित समिति की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना –**

   1. डॉ. एल.एस. गजपाल, प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला – संयोजक/समन्वयक
   2. डॉ. सुनील कुमार कुमेटी, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला – सदस्य
   3. डॉ. टिके सिंह, सहायक प्राध्यापक, भूगोल, अध्ययनशाला – सदस्य
   4. डॉ. शैलेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान अध्ययनशाला – सदस्य

   **टीपः** पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ (Social Audit Cell) का गठन आदेश क्रमांक 219/अका./एफ–27/2025 दिनांक 28.01.2025 के द्वारा किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

8. **सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा–राजिम को हिन्दी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

   **टीप** : हिन्दी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 20.03.2025 के निर्णयानुसार सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा–राजिम को हिन्दी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. **महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा को हिन्दी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

   **टीप** : हिन्दी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 20.03.2025 के निर्णयानुसार महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा को हिन्दी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

## पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **विनियम क्रमांक 29(iii) के अनुक्रम में पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् से दो सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।**

11. **ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**

    **(पृष्ठ क्र. 07 से 08 तक)**

    **टीपः** कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

12. **पुस्तक आपूर्ति हेतु फर्मो से किये गये अनुबंध में वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

    **टीपः** निविदा प्रपत्र में उल्लेखित पृष्ठ क्र. 3 भाग–2 के कंडिका क्र. 2.11 *"सत्र 2023–24 के उपरांत उपरोक्त निविदा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगामी दो वर्षों के लिए (एक–एक वर्ष करके) और निरन्तर की जा सकती है।"* के अनुसार आगामी वर्ष 2025–26 तक वृद्धि हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

## यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. बी.एड. भवन की आन्तरिक मरम्मत, पुट्टी, पेन्टींग कार्य की देयक भुगतान।

**टीपः**

(1) जनरल मेन्टेनेन्स आफ इन्टरनल पेन्टींग कार्य हेतु छ.ग. भण्डार क्रय नियम एवं कार्य विभाग मैनुवल का पालन करते हुए खुली निविदा क्र. 1156/यांत्रिकी/दिनांक 04.12.2024 छ.ग. संवाद के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है।

(2) प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम निविदाकार द वेदरमेन रायपुर की @25.50% (पच्चीस दशमलव पांच शुन्य प्रतिशत) छ.ग. लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01.01.2020 से प्रचलित एस.ओ.आर. से कम दर को विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 07.01.2025 एवं केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 15.01.2025 में मान्य करने अनुषंसा किया गया है।

(3) निविदा राशि रु. 25,00,000/– में अनुशंषित न्यूनतम निविदा दर @25.50% (पच्चीस दशमलव पांच षुन्य प्रतिषत) घटाने पर रु. 18,62,500/–(अठारह लाख बैसठ हजार पांच सौ) का कार्य अनुबंध/कार्यआदेश विश्वविद्यालय की स्वीकृत बजट मद **B.Eng.unit/University Building distempering,putty** में शेष रु. 98.00 लाख अन्तर्गत दिनांक 17.01.2025 को माननीय कुलपति जी द्वारा भवन निर्माण समिति एवं कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याषां में आपात आवश्यकता में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

(4) अनुबंधित फर्म से बी.एड.भवन की आन्तरिक मरम्मत, पुट्टी, पेन्टींग का समग्र कार्य संपादित कराया गया है, जिसका मापांकन कर मूल्यांकन राशि रु. 11,32,630/–(ग्यारह लाख, बत्तीस हजार, छः सौ, तीस) किया गया है, नियमानुसार @2% आयकर रु. 22,660/–(बाईस हजार छः सौ साठ) कटौती करने उपरांत निम्नानुसार भुगतान स्वीकृति कार्य अनुबंध अन्तर्गत प्रस्तावित है :–

| | | |
|---|---|---|
| (1) | द वेदरमेन, रायपुर – | रु. 11,09,770/– |
| (2) | आयकर जमा– | रु. 22,660/– |
| | कुल योग– | रु. 11,32,430/– |

(5) रु. 18,62,500/– (अठारह लाख, बैसठ हजार, पांच सौ) के कार्य अनुबंध की कार्योत्तर वित्तिय प्रशासकीय स्वीकृति के साथ रु. 11,32,630/–(ग्यारह लाख, बत्तीस हजार, छः सौ, तीस) अनुबंधित फर्म मेसर्स वेदरमेन रायपुर के पक्ष में भुगतान स्वीकृति हेतु कृपया माननीय कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।**

टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। **(पृष्ठ क्र. 09 से 15 तक)**

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. **Skill Development Programme के अंतर्गत Tabletop CNC Lathe Machine एवं Tabletop CNC Milling Machine क्रय हेतु रू. 9,13,320=00 (रुपए नौ लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा USIC विभाग में संचालित Skill Development Programme के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के कौशल विकास हेतु Tabletop CNC Lathe Machine एवं Tabletop CNC Milling Machine क्रय किया जाना है।

उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सामग्री क्रय करने पर अनुमानित व्यय रू. 9,13,320=00 (रुपये नौ लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) होने की संभावना है।

क्रय किये जाने वाले सामग्री का भुगतान बजट C-VIII-Other S.o.S. b) Equipment Including New department/Course मद में प्रावधानित राशि से किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

अतः उक्त सामग्री क्रय करने के लिए रू. 9,13,320=00 (रुपये नौ लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) की स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

16. **विश्वविद्यालय के विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे 456 नग ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु रू. 21,54,600=00 की स्वीकृति हेतु।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय के विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे 456 नग ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु GeM Portal पर Online Bidding की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

Bid Name – Annual Maintenance Service – Air Conditioner
Bidding No. - GEM/2024/B/5653455
Bid Date – 26/11/2024
Bid End Date – 18/12/2024
Total No. of Seller participated in Bid – 6

उक्त Bid में 06 फर्मों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें तकनीकी बीड में 03 फर्मों को योग्य पाया गया। तकनीकी बीड में योग्य पाये गये फर्मों का फाइनेंसियल बीड खोला गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

| S.N | Seller Name | Status | Unit | Rate | Amount with GST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COMMUNICATION SYSTEM | L1 | 456 | 4,599.00 | 21,54,600.00 |
| 2. | G S ENTERPRISES | L2 | 456 | 4,950.00 | 24,48,907.30 |
| 3. | SAI TECHNO SALES | L3 | 456 | 6,200.00 | 30,67,318.35 |

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार फर्म COMMUNICATION SYSTEM का दर L1 न्यूनतम पाया गया। अतः न्यूनतम दर के आधार पर उक्त फर्म से ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) कराये जाने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है। उक्त कार्य पर रू. 21,54,600=00 (रुपये इक्कीस लाख चौव्वन हजार छः सौ मात्र) व्यय होगा।

अतः फर्म COMMUNICATION SYSTEM से ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) कार्य कराये जाने हेतु रू. 21,54,600=00 (रुपये इक्कीस लाख चौव्वन हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

## <u>जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. **जैविकी अध्ययनशाला के एम.एस–सी. चतुर्थ सेमेस्टर के बाह्य एवं आंतरिक विद्यार्थियों के लिए Project/Dissertation शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : 15 जनवरी, 2025 को आयोजित जैविकी अध्ययनशाला के स्टाफ काउंसिल की बैठक के अंतर्गत प्रोजेक्ट/शोध प्रबंध कार्य करने वाले एम.एस–सी. चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए स्टाफ काउंसिल द्वारा निम्नलिखित शुल्क की अनुशंसा की गई है –

| | |
|---|---|
| External Students (Student other than SoS in Life Sciences) | Rs. 30,000.00 |
| Internal Students (Student of SoS in Life Sciences) | Rs. 15,000.00 |

उपरोक्त शुल्क शोध प्रबंध कार्य के एक सत्र के लिए एवं परियोजना/शोध प्रबंध (**Project/Dissertation**) शुल्क विनियम क्र. 170 Consultancy के अंतर्गत मान्य किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

## <u>सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

18. **श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री को सेवानिवृत्ति उपरांत एकमुश्त मानदेय पर कार्य पर रखे जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u>: विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.12.2023 में लिए गए निर्णय के तहत आदेश क्रमांक 165/सा.प्रशा./2024 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (से.नि.) को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2022 के पश्चातवर्ती तिथि दिनांक 01.08.2022 से वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर अधिकतम मानदेय राशि रू. 31200/– (इक्तीस हजार दो सौ रू. मात्र) प्रतिमाह में कार्य पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री को आगामी NAAC Visit एवं PM-USHA के तहत विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान के कार्यो की तकनीकी एवं विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर यंत्री को पदस्थ किए जाने तक उपर्युक्त मानदेय राशि रू. 31200/– (इक्तीस हजार दो सौ रू. मात्र) प्रतिमाह में कार्य पर रखे जाने की अनुमति प्रदाय हेतु मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

19. **श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री, यांत्रिकी विभाग के अर्जित अवकाश स्वीकृति विषयक।**

**टीपः** विषयान्तर्गत लेख है कि श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री, यांत्रिकी विभाग ने अस्वस्थता का कारण दर्शाकर निम्नानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | दिनांक 28.11.2023 से 08.12.2023 तक | = | 11 दिन |
| 2. | दिनांक 15.03.2024 से 28.03.2024 तक | = | 14 दिन |
| 3. | दिनांक 02.04.2024 से 12.04.2024 तक | = | 11 दिन |
| 4. | दिनांक 06.05.2024 से 24.05.2024 तक | = | 19 दिन |
| 5. | दिनांक 25.05.2024 से 07.06.2024 तक | = | 14 दिन |
| 6. | दिनांक 08.06.2024 से 21.06.2024 तक | = | 14 दिन |
| 7. | दिनांक 22.06.2024 से 28.06.2024 तक | = | 07 दिन |
| 8. | दिनांक 29.06.2024 से 12.07.2024 तक | = | 14 दिन |
| 9. | दिनांक 13.07.2024 से 19.07.2024 तक | = | 07 दिन |
| 10. | दिनांक 20.07.2024 से 02.08.2024 तक | = | 14 दिन |
| | कुल | = | 125 दिन |

अतः श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री को उपरोक्तानुसार 11, 14, 11 एवं निरंतर 89 (19+14+14+7+14+7+14) दिनों कुल 125 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदाय हेतु मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

20. **श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, वरिष्ठ अधीक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में विचार करना।**

**टीपः**

1. वि.वि. आदेश क्र 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, वरिष्ठ अधीक्षक (निलंबित) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 57 (1) (ई) के तहत तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालयीन सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया।
2. वि.वि. द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने जाँचोपरांत की गई अनुशंसा पर वि.वि. कार्यपरिषद् दिनांक 09.01.2025 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से बिन्दु क्रमांक 17 पर "अनिवार्य सेवानिवृत्ति को यथावत रखे जाने" का निर्णय लिया गया। तत्संबंध में वि.वि. पत्र क्र.378/सा. प्रशा. /2025 दिनांक 24.01.2025 जारी।
3. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय को वि.वि. पत्र क्र. 1774 /सा.प्रशा./2020 दिनांक 19.08. 2020 द्वारा निलंबन अवधि एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति अवधि के बीच की अवधि को पेंशन प्रकरण हेतु सेवाकाल मान्य किये जाने की स्वीकृति वि.वि. द्वारा प्रदान की गई।
4. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ने पत्र क्र.391/204/आउशि/वि.वि.अनु./2020 दिनांक 19.10.2020 एवं पत्र क्र 288/114/आउशि/न्या.प्र./2025 दिनांक 10.03.2025 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु निलंबन अवधि एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति अवधि के बीच की अवधि के संबंध में जानकारी चाही है।

5. संबंधित के पूर्व प्रकरण में गठित तीन सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 05.03.2024 को समिति ने "निलंबन अवधि एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति अवधि अर्थात् दिनांक 30.03.2013 से 19.03.2015 तक की अवधि को केवल पेंशन प्रकरण हेतु मान्य किये जाने की अनुशंसा की है। अतः माननीय कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

21. **सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोले जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय हेतु एसोसिएट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा को खोले जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

22. **कार्यपरिषद् की 92वाँ बैठक दिनांक 23.10.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 3 में लिए गये निर्णयानुसार डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे के जाति प्रमाण–पत्र/सत्यापन उपरांत प्रतिवेदन के आधार पर स्तरोन्नयन के संबंध में विचार करना।**

टीप : (1) कार्यपरिषद् की 92वाँ बैठक दिनांक 23.10.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 3 में लिए गये निर्णय निम्नानुसार है – डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे के संदर्भ में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इनसे संबंधित जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन की प्रक्रिया प्रमाणिकता के साथ पूर्ण होने तक "Screening-Cum-Evaluation Committee" की अनुशंसा पर अग्रेतर कार्यवाही स्थगित रखी जाए।

(2) कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) बालोद (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक/1472/आ.जा.का./जा.प्र.प./2025 बालोद, दिनांक 11.03.2025 के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जाँच/सत्यापन उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित किया है।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>संचालक शारीरिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

23. **विश्वविद्यालयीन खिलाड़ियों, मैनेजरों एवं कोच के दैनिक भत्ता में बढ़ोत्तरी के संबंध में विचार करना।**

टीपः सेक्टर स्तर/अंतर महाविद्यालयीन/अंतर विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, महंगाई को ध्यान में रखते हुए दैनिक भत्ता रु. 150/– से वृद्धि कर रु. 300/– एवं राज्य स्तरीय पर रु. 200/– से वृद्धि कर रु. 400/– प्रति दिवस एवं दल के साथ जाने वाले प्रबंधक या प्रशिक्षक (कोच, मैनेजर) एवं पर्यवेक्षक को दैनिक भत्ता रु. 300/– से वृद्धि कर रु. 500/– प्रति दिवस की दर से दिये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

24. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

24/3/25

कुलसचिव